न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 52 / 2016 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2016 / 00182

अपीलांटगण :—	बनाम	रेस्पोडेन्टगण :—
1. कमलाबाई पुत्री श्री स्व. श्री रामचन्द्र (पत्नी श्री पुरुषोतमदास जी) जाति वैष्णव खैरवा, पाली वर्तमान पता :— भवानी किराणा स्टोर, सुन्दर नगर, बांगड़ कॉलेज के पीछे, पाली। 2. राजन पुत्री स्व. श्री रामचन्द्र (पत्नी श्री जीवनदास) जाति वैष्णव निवासी खैरवा तहसील पाली जिला पाली वर्तमान पता :— बापू नगर विस्तार, गुन्दा वाली गली, पाली		1. राज. राज्य द्वारा तहसीलदार, पाली। 2. अजोदिया देवी पत्नी स्व. श्री रामचन्द्र जाति वैष्णव निवासी ग्राम खैरवा तहसील व जिला पाली। 3. रमेशकुमार पुत्र श्री अर्जुनदास जाति वैष्णव निवासी ग्राम खैरवा तहसील व जिला पाली। 4. नरेशकुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति वैष्णव निवासी ग्राम खैरवा तहसील व जिला पाली। 5. महेन्द्र पुत्र स्व. श्री भंवरलाल (पौत्र स्व. श्री रामचन्द्र) जाति वैष्णव निवासी बूसी रानी जिला पाली। 6. नरेन्द्र पुत्र स्व. श्री भंवरलाल (पौत्र स्व. श्री रामचन्द्र) जाति वैष्णव निवासी बूसी तहसील रानी जिला पाली। 7. अनिल पुत्र स्व. श्री भंवरलाल (पौत्र स्व. श्री रामचन्द्र) जाति वैष्णव निवासी बूसी तहसील रानी जिला पाली। 8. अनुराधा पुत्री स्व. श्री भंवरलाल (पौत्री स्व. श्री रामचन्द्र) जाति वैष्णव निवासी बूसी तहसील रानी जिला पाली 9. सरोज पुत्री स्व. श्री भंवरलाल (पौत्री स्व. श्री रामचन्द्र) जाति वैष्णव निवासी बूसी तहसील रानी जिला पाली।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता :— अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पी.एम. जोशी उपस्थित
अधिवक्ता रेस्पाडेंट श्री विकास बंजारा अनुपस्थित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 27-1-21

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1537 दिनाँक 26.05.1992 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण जरिये सम्मान तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण तलब किया जाकर बहस सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि रामचन्द्र पुत्र धनाराम जी फौत होने के पश्चात उनके वारिसान के नाम जैर अपील नामान्तरकरण रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा स्वीकृत किया गया जो अविधिक [illegible] से निरस्त योग्य है स्व. रामचन्द्र पुत्र धनाराम के दो पुत्रियां अपीलांट [illegible] 2 तथा रेस्पोंडेंट संख्या 3 के पिता अर्जुनदास रेस्पोडेंट संख्या 4 के [illegible] रेस्पोडेंट संख्या 5 लगायत 9 के पिता भंवरलाल थे अर्थात उनकी पत्नी अजोदिया देवी रेस्पोडेंट संख्या [illegible] अलावा तीन पुत्र व दो पुत्रियां थे। जैर अपील नामान्त[illegible]रण भरते समय स्व. [illegible] की पुत्रियां अपीलांट संख्या 1 व 2 दोनों के नाम इन्द्राज नहीं कर रेस्पोडेंट संख्या 2 तथा रेस्पोंडेंट संख्या 3 व 4 के पिता क्रमशः अर्जुनदास व ओमप्रकाश तथा रेस्पोडेंट संख्या 5 से 9 तक के पिता भंवरलाल के नाम इंद्राज करते हुए स्वीकृत कर दिया गया। जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व स्व. रामचन्द्र के विधिक वारिसान की जांच नहीं की गई। तथा बिना जांच किए बिना सुनवाई किए ही नामान्तरकरण भरकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:46:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश..........2

पटवार हल्का ने तहसीलदार पाली से स्वीकृत करा कर विधिक भूल की है। जबकि अपीलांटगण स्व. रामचन्द्र पुत्र धनाराम जी की जायन्दा पुत्रियां होने से हिन्दु उत्तराधिकार के नियम 8 के अनुसार दोनों ही पुत्रियां प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से उनकी सम्पति में हक हिस्सा रखने से अपीलांटगण का भी नाम इन्द्राज किया जाना आज्ञापक था लेकिन तहसीलदार द्वारा इसकी अनदेखी करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत कर देने से दोनो ही पुत्रिया अपीलांट संख्या 1 व 2 अपने हक अधिकारों से वंचित हो गई ऐसी स्थिति में इस प्रकार भरा गया नामान्तरकरण प्रारम्भ से शुन्य हाने से खारिज किया जावे। प्रारम्भ से शुन्य दस्तावेज होने से तथा अपीलांटगण के हक अधिकारों का प्रश्न होने से म्याद का बिन्दु इसमें बाधक नहीं है इस वजह से अपील अन्दर म्याद शुमार फरमाई जाकर गुणावगुण पर निर्णय फरमाया जाकर जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जाकर अपीलांटगण के नाम बतौर रामचन्द्रजी के उत्तराधिकारी जैर अपील नामान्तरकरण में इन्द्राज कराकर नामान्तरकरण पुनः सादिर कराने के आदेश प्रदान करे।

वक्त बहस रेस्पोडेंटगण के अधिवक्ता एंव रेस्पोडेंटगण बावजूद आवाजे लगाने के भी अनुपस्थित रहने से प्रस्तुत अपील में अधिवक्ता अपीलांट की बाद सुनने बहस गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित है।

बहस सुनी गई बहस अधिवक्ता अपीलांट पर मनन किया गया तथा मूल नामान्तरकरण संख्या 1537 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील नामान्तरकरण में अपीलांटगण के हक अधिकारों का प्रश्न होने से अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार की जाती है अधिवक्ता अपीलांट के अनुसार दोनों ही अपीलांट स्व. रामचन्द्र पुत्र धनाराम जी की जायन्दा पुत्रियां है व प्रथम श्रेणी की वारिसान होने से इनका नाम जैर अपील नामान्तरकरण में दर्ज होना चाहिए था एवं मातहत तहसीलदार ने ऐसा बिना वारिसान की जांच किए ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया लेकिन अपने तर्क की ताईद में अपीलांट संख्या 1 कमलाबाई एवं अपीलांट संख्या 2 राजन दोनों ही स्व. रामचन्द्र पुत्र धन्नाराम की जायन्दा पुत्रियां है इस बाबत किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत यथा सरपंच द्वारा स्व. रामचन्द्र के वारिसान की सूची, राशन कार्ड अथवा अन्य दस्तावेज पेश नहीं किया गया। हमारा मत यह नहीं है कि अपीलांट संख्या 1 व 2 स्व. रामचन्द्र पुत्र धन्नाराम वैष्णव की पुत्रियां नहीं हो सकती है लेकिन किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं करने से अपील अपीलांट निरस्त की जाती है लेकिन अपीलांट संख्या 1 व 2 स्व. रामचन्द्र पुत्र धन्नारामजी की जायन्दा पुत्रियां है इस बाबत साक्ष्य जुटा लेती है तो वे पुनः अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनाँक 27-1-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:46:50 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)